

26/04/2022

आज यह पत्रावली उत्तर प्रदेश सरकार एवं कृषि/उत्तर प्रदेश सरकार

द्वारा उत्तर प्रदेश कोडेशन 152 जांच की पेशा हेतु
काद सुनवाई स्वीकार होने पर पेशा हुई। गुणाधिक

प्रमुख प्रमाण का यह दावा पत्रावली करके राजीनामा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिनांक 2021

में दिनांक 05/01/2022 को डिक्री का निर्णय किया

जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद लिखित समझ

मिलने वाले हिस्से, आराजी कायत पक्षीगण के स्थान

पर श्रीवर्षीगण एवम् श्रीवर्षीगण के स्थान पर वर्षीगण

का अंकन कर दिया जाना तथा आ. व. नं. 862 के

स्थान पर आ. व. नं. 562 अंकन कर दिया जाना,

बलरामगढ़ के बाके ग्राम का अंकन नहीं किया

जाना अंकन करते हुए आ. व. नं. 553 का ग्राम


दुलामा का एवं शेष समस्त विवादित आराजीगण

बाके ग्राम सुन्दरगढ़ कला ग्राम की होना अपनी प्रकृत

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व त
जो इस हु
में

प्रमाणपत्र का आकार काटा है। जिसका मत मूल रूप से
 पत्रावली एवं पत्रावली के प्रामुख रूप से पत्रावली के हक में पेपर पर
 अधिक राजीनामा के अन्तर्गत उपरान्त वाद पत्र साक्षिक
 आदेशी (बलवान नम्बर) का वाद पत्र है जिसके हाल आदेशी
 व नम्बर के कावत की हाल की नकल जमाबन्दी प्रामुख
 किए जाने की उपपत्रावली का दिनांक दी गई प्रामुख उपपत्रावली
 हो दिनांक 05/01/2022 को जारी निर्णय एवं पत्रावली डिक्री पर
 पूर्व समाप्ति से लेशोधन कोर्टा निर्णय एवं सशोधित पत्रावली
 डिक्री के अन्तर्गत किए जाने के कोर्टा डिक्री जाते हैं। अधिक
 किया जावे व शेष निर्णय व पत्रावली डिक्री पूर्वतः प्रभावित
 रहेंगे।


 उपसप्टाधिकारी
 मुण्डावर (अलवर) राज०